न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

अध्यक्षता : ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार प्रथम अपील संख्या :– 02/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्रीमती बिन्दू सरदारों की जाव, सुमेरपुर, पाली।		अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
विरुद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,(लोक सूचना अधिकारी)

:: आदेश::

दिनांकः 16.5.2018

अपीलान्ट द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति. सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.1.2018 को प्रस्तुत कर के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा राजस्थान सूचना आयोग,एवं मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विभिन्न पत्रों एवं परिपत्रों की प्रतियां एवं पत्र क्रमांक 11103–14 दिनांक 10.10.2007 मे की गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी ।

चाही गयी सूचना 30 दिवस तक उपलब्ध नही करायी जाने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर चाही गयी सूचना नियमों के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी ने प्रस्तुत अपील पर अपनी टिप्पणी मे अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध मे पत्र आवक शाखा से टिप्पणी प्राप्त की गयी। टिप्पणी मे उल्लेखित किया गया है कि उक्त पत्र 10 वर्ष पुराना है तथा रेकर्ड के दर्ज रजिस्टर मे आना नही पाया गया है। उक्त आशय की सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ./एडीसीफ/2017/187

दिनांक 6.2.2017 के द्वारा दे दी गयी थी साथ ही यह उल्लेखित किया कि चाही गयी सूचना सूचना आयोग, जयपुर से प्राप्त करें।

हमने अपीलान्ट द्वारा अपील मे प्रकट तथ्यों एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर द्वारा प्रार्थी को सूचित किया कि उक्त पत्र 10 वर्ष पुराना है तथा रेकर्ड के दर्ज रजिस्टर मे आना नही पाया गया है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है। जबकि अपीलान्ट ने अपील मे उल्लेखित किया है कि वांछित पत्र कार्यालय आवक पंजिका संख्या 275 दिनांक 17.10.2007 पर दर्ज है। इस प्रकार (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर द्वारा की गयी कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है।

उसकी उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः आवक शाखा से टिप्पणी प्राप्त कर संबंधित शाखा से उक्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त करें तथा प्रार्थी को सूचित करें कि वे कार्यालय समय मे उपस्थित हो कर चाही गयी सूचनाएं चिन्हित करें तथा चिन्हित करने पर सूचना/प्रतिलिपियां निशुल्क उपलब्ध करावें। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटायी जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रतिलिपि–

2. श्रीमती बिन्दू , सरदारों की जाव, सुमेरपुर, जिला पाली को सूचनार्थ प्रेषित है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर